393

497

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप रीवा (म.प्र.)

R - 19 - II / 13

1. रामस्वरुप तनय स्व. रामानुज द्विवेदी उम्र 85 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम–दुआरी, तहसील–गुढ़ जिला रीवा (म.प्र.)

2. रामाश्रय द्विवेदी तनय स्व. रामानुज द्विवेदी उम्र–70 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम–दुआरी, तहसील–गुढ़ जिला रीवा (म.प्र.)

————————आवेदकगण / पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1. हीरालाल तनय श्री रामप्रताप पटेल उम्र–35 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम–दुआरी, तहसील–गुढ़ जिला रीवा (म.प्र.)

————————अनावेदक

न्यायलय श्रीमान नायब तहसीलदार तह.– गुढ़ द्वारा प्रकरण क्र.24/अ12/2011–12 मे पारित आदेश दिनांक 07/09/12 के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन पत्र।

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

मान्यवर,

पुनरीक्षण आवेदन के आधार निम्नलिखित है।

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत है तथा निरस्त किए जाने योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय मे वेष्ठित अधिकारिता का प्रयोग करने मे भूल की गई है।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक/आपत्तिकर्ता कि आपत्ति रिकार्ड मे लेने के बाद न तो सुनवाई का अवसर दिया गया और न ही आपत्ति पर विचार किया गया तथा

(313)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

क्रमांक निग0/19–दो/2013 जिला–रीवा

रामस्वरूप द्विवेदी/हीरालाल पटेल

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र शुक्लाउपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, तहसील गुढ़ के प्रकरण क्रमांक 24/अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	